न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 53 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 197

प्रार्थीगण — अप्रार्थीगण

पुनमाराम पुत्र सामताराम वगैरह — देवाराम पुत्र ठाकराराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 14.08.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से इब्राहिम शाह जूनेजा उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 11 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 16.03.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा करावड़ी, पटवार हल्का–चौरा में हम वादीगण बाप दादाओं का पुश्तैनी आराजी के पुराने खसरा नंबर 369, 385, 469, 529, 128, 371, 468 कुल रकबा 135 बीघा 11 बिस्वा भूमि थी जो हम प्रार्थीगण के ददा वीरमा पुत्र नरिंगा के नाम से आयी हुई थी। गांव करावड़ी नवीन राजस्व गांव मालियों का गोलिया के उक्त पुराने खसरों के नवीन खसरा नंबर 526 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नंबर 533 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसर नंबर 539 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 540 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 541 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 542 रकबा 2.0680 हैक्टेयर, खसरा नंबर 983 / 542 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नंबर 984 / 542 रकबा 0.01 हैक्टैयर, कुल रकबा 4.1780 हैक्टेयर के आये हुए है तथा मौजा करावडत्री के नवीन खसरा नंबर 469 रकबा 1.19 हैक्टेयर सृजित हुए, जो सलंग्न मिलान क्षैत्रफल से साबित है, उक्त भूमि हम प्रार्थीगण के पिता स्व. सामता पुत्र वीरमा का 1 / 2 हिस्से में 1 / 4 हिस्सा हम प्रार्थीगण प्रत्येक का जन्मसिद्व मालिकाना हकहकूक कब्जा काश्त का आया हुआ था। जिसमें हम प्रार्थीगण की मौके पर पुश्तैनी रहवासीय ढाणियां कुंए स्थित है। उक्त आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को अपने पुश्तैनी मालिकान हक कब्जाकाश्त की भूमि में किसी प्रकार काश्त करने से नहीं रोके व प्रार्थीगण के पुश्तैनी बंट हिस्से, हक एवं कब्जे की भूमि से जबरन प्रवेश कर काश्त नहीं करें एवं न ही करावें तथा किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करें एवं न ही करावें तथा वादग्रस्त आराजी का बेचान, रहन, तर्क, दान, वसीयत आगे से आगे नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 10 व 11 वादग्रस्त आराजी से संबंधित किसी भी प्रकार का

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

दस्तावेज पंजीयन नहीं करें। अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें।

अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 11 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– **आदेश** :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **16.03.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)